30|5|24

पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल
वाद निर्णित हो चुका है जिससे इस
पत्रावली में कार्यवाही शेष न होने
से शेष / खारिज की जाती है।
पत्रावली निर्णित होकर नत्थी रेकर्ड
हो। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।